



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
तार: "महासर्वेक्षक"
Telegram: "SURVEYS"
फैक्स व दूरभाष: 0091-135-2744064
Fax-cum-Telephone: 0091-135-2744064
E-Mail/ई-मेल: sgo@nde.vsnl.net.in

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA



महासर्वेक्षक का कार्यालय
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE
डाक बक्स सं० 37, POST BOX No.37,
देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)-भारत।
DEHRA DUN-248001 (UTTARAKHAND), INDIA

सं०सी-932 /1354(ओ०एस०/एस०जी०ओ०)

दिनांक: 01 फरवरी, 2013

सेवा में,

अपर महासर्वेक्षक: पूर्वी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/उत्तरी क्षेत्र/ ।

निदेशक: कर्नाटक भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उड़ीसा भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र/उत्तराखण्ड
एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र ।

विषय: कार्यालय अधीक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति ।

निम्नलिखित सहायक/मुख्य लिपिक को कार्यालय अधीक्षक के पद पर वेतनमान
रु० 9,300-34,800+ग्रेड वेतन 4200 में नियमित आधार पर पदोन्नति पर स्थानान्तरण/तैनाती के आदेश
दिये जाते हैं:-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नई तैनाती	पात्रता की तिथि
1.	Smt.J.Sairoopa	Karnataka GDC, Bangalore	बाद में सूचित किया जायेगा	दिनांक 22.04.13 से प्रभावी
2.	Smt.Ranjubaia Mohanty	Orissa GDC, Bhubaneshwar	G&RB, Dehra Dun	-
3.	Shri Ganga Prasad(SC)	UK & W UP GDC, Dehra Dun	Bihar GDC, Patna	-

2. उपरोक्त पदोन्नति कार्यभार ग्रहण करने की वास्तविक तारीख से प्रभावी होगी तथा इन आदेशों को इस पत्र के जारी होने की तारीख से 1 माह के भीतर लागू किया जाए ।

3. उपरोक्त कर्मचारियों से यह स्पष्ट रूप से लिखित में ले लिया जाये कि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति स्वीकार करते हैं अथवा अस्वीकार करते हैं । पदोन्नति की स्वीकृति या अस्वीकृति जैसा भी मामला हो, इस कार्यालय को दिनांक 01-03-2013 तक अवश्य सूचित करें ।

4. उपरोक्त कर्मचारियों को यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे स्थानान्तरण पर पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हैं तो उनकी अस्वीकृति की तारीख से उन्हें एक वर्ष की अवधि तक पदोन्नति का कोई प्रस्ताव नहीं दिया जाएगा और उनकी वरिष्ठता समाप्त हो जाएगी तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10-04-1989 के कार्यालय ज्ञापन सं०22011/5/86-स्था० (डी०) के पैरा 17.12 में निहित शर्तों के अनुसार उन से कनिष्ठ को उच्च ग्रेड में पदोन्नत कर दिया जाएगा ।

5. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के कास्ट स्टेटस के पुनः सत्यापन के विषय में आवश्यक कार्यवाही सम्बन्धित निदेशालय द्वारा उनके पदोन्नति पर रिपोर्ट करने पर की जाये तथा यह भी स्पष्ट कर दिया जाये कि पुनः सत्यापन के पश्चात यदि उक्त व्यक्ति अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नहीं पाये गये तो उन्हें तत्काल उनके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।

क्रमशः.....2/

6. यदि उपरोक्त में से किसी के विरुद्ध कोई सतर्कता/अनुशासनात्मक मामला या दण्ड प्रक्रिया संबंधित कार्यालय में लम्बित हो तो उपरोक्त आदेश प्रभावी न किए जाएं ।

7. उपरोक्त कर्मचारियों को पदोन्नति पर नए वेतनमान में वेतन नियतन के लिए एफ0आर022(I)(क)(1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।

(चन्द्र पाल)
अपर महासर्वेक्षक
कृते भारत के महासर्वेक्षक

प्रतिलिपि:

1. निदेशक: बिहार जी0डी0सी0/ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा ।
2. केन्द्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून ।
3. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा अधिकारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता ।
4. कार्यालय अधीक्षक: स्थापना-1/स्थापना-2/कार्य अध्ययन एकक/जे0सी0एम0 अनुभाग (म0स0का0) ।
5. महासचिव, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, देहरादून ।